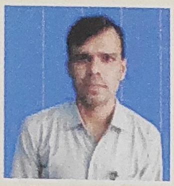


## डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा

**जन्म :** सन 1985, दमोह (म. प्र.)

**शिक्षा :** स्नातक (कला संकाय), स्नातकोत्तर (हिंदी), बी.एड., यूजीसी नेट, मध्यप्रदेश सेट, छत्तीसगढ़ सेट, पी–एच.डी. हिन्दी विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)

**सम्मान :** राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित।

**पुस्तक प्रकाशन/लेखन :**

- ◆राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण
- ◆लोकसाहित्य : सामाजिक और साहित्यिक प्रतिमान
- ◆राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियां
- ◆साहित्य, समाज और संस्कृति (विविध आयाम)
- ◆प्रेमचंद के उपन्यास (विविध आयाम)
- ◆सुमित्रानंदन पंत के साहित्य में चेतना के विविध आयाम
- ◆हिन्दी साहित्य और सांस्कृतिक चिंतन
- ◆समकालीन साहित्य एवं हिंदी परिदृश्य
- ◆कमलेश्वर के उपन्यास (विविध आयाम)

राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता, देश की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं/पुस्तकों में शोध आलेख प्रकाशित।

**सदस्यता :–**

- सक्रिय सदस्य, साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन (रजि.) दिल्ली

**संप्रति :** सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग शासकीय महाविद्यालय, लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

ईमेल : skvishwakarma1785@gmail.com



प्रकाशक:–

**रिस्मा पब्लिशर्स**
दरभंगा, बिहार
E-mail : rismapublishers@gmail.com
Website:- www.rismapublishers.com
Mob- 780-80-74762, 829-80-74762

ISBN 978-81-968378-6-0
9 788196 837860
Rs. 550.00 2024


भाषा, साहित्य और संस्कृति : सामाजिक सरोकार


ISBN : 978-81-968378-6-0


# भाषा, साहित्य और संस्कृति : सामाजिक सरोकार

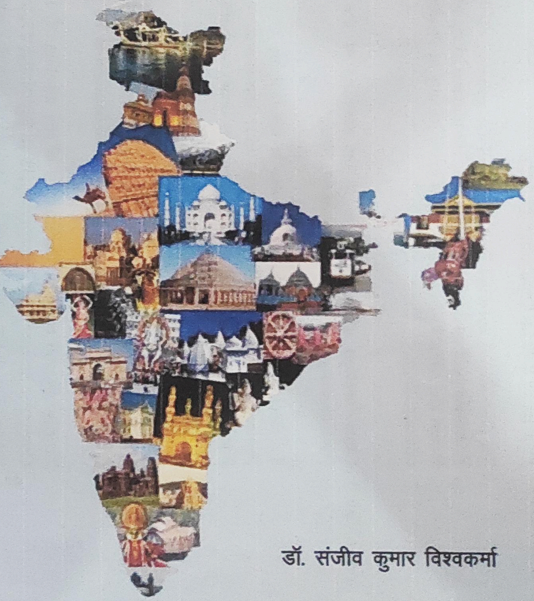


डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा

## विषय–सूची


1. राष्ट्रीय भावैक्य : हिन्दी साहित्य और भाषा
डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा ....1

2. प्रभावी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया एवं अभिनव अध्यापनँ
अभय वीर सिंह ....10

3. भारतीय ज्ञान परम्परा में गणित का योगदानँ
डॉ. अबुल बसर, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. शैलेश मिश्रा एवं शाइस्ता ....16

4. भाषा, साहित्य और संस्कृति में सामाजिक सरोकारः मैनेजर पाण्डेय का दृष्टिकोण
संध्या दीक्षित एवं शिखा तिवारी ....22

5. सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक विविधताः एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण
प्रियदर्शनी कुमारी ....28

6. समाज को हिन्दी भाषा का राजभाषा के रूप में योगदानँ
डॉ. भुपेन्द्र कौर ....34

7. द्विवेदी युगीन साहित्य में राष्ट्रीय चिंतन का स्वरूप
डॉ महन्ती प्रसाद यादव ....39

8. मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में सामाजिक सारोकार
कृष्ण कुमार ....47

9. भाषा और साहित्य में सामाजिक न्याय की खोज
वंदना कुमारी ....52

10. भाषा और संस्कृति के सामाजिक आयाम
साध्वी सिंह ....57

# समाज को हिन्दी भाषा का राजभाषा के रूप में योगदान

डॉ. भुपेन्द्र कौर

शिक्षाशास्त्र विभाग, आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (यू0पी0)

**DOI-10.5281/zenodo.14276118**

भाषा क्या है—मानव जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वह भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे निरन्तर अपने भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करना पडता है एवं दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना पडता है। निसन्देह कुछ भाव एवं विचार विभिन्न संकेतों द्वारा भी ग्रहण किये और करायें जाते हैं, परन्तु उनसे सामाजिक जीवन का समस्त कार्य व्यवहार नही चल सकता। इसलिए मानव जीवन में भाषा की सदैव अपेक्षा रहती है और उसका स्थान अत्यन्त आवश्यक है। मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि एवं लेखन की प्रणाली ही भाषा है।

भाषा एवं समाज का सम्बन्ध—प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी। बोलियाँ अनेक थीं, किन्तु शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत स्वीकृत थी। संस्कृत विद्वानों, शिक्षितों व जनता के उच्च वर्ग की भाषा अर्थात देववाणी थी। पाणिनी एवं पंतजलि जैसे भाषा वैज्ञानिकों के हाथों में आकर यह इतनी परिमार्जित हो गई थी कि उच्चतम एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने में यह सर्वथा समर्थ थी। कामकाज की भाषा होने के कारण यह अत्यनत सम्माननीय मानी जाती थी। इसका 'देववाणी' नाम इसी सम्मान का सूचक है। कुछ समय पश्चात अर्थात् बौद्धकाल में अशोक जैसे महान सम्राट के शासन—काल में, भारत की राजभाषा का पद पालि व प्राकृत को मिला। फिर क्या था, पालि व प्राकृत की भी खूब उन्नति हुई। इसमें ग्रन्थ रचे गए, घोषणायें की गई शिलाओं एवं स्तम्भों पर लेख लिखे गए एवं भारत के प्रमुख विद्यालयों, बिहारों, विश्वविद्यालयों तथा आश्रमों में पालि व प्राकृत का पठन—पाठन होने लगा।

फिर समय बदला, भारत पर मुसलमानों का शासन हुआ। मुगलों के शासन काल में कुछ स्थिरता आई। कामकाज की भाषा फारसी हुई। अदालतों, कचहरियों एवं दरबारों में फारसी का बोलना प्रारम्भ हुआ। जिसके अवशेष अभी भी कचहरियों में देवनागरी लिनि में लिखे देखे गए। कुछ ठेठ फारसी के शब्दों के स्प में देखे जा सकते हैं। साधारण जनता ने बाजारों में एक अन्य भाषा उर्दू या हिन्दी का विकास कर लिया था, किन्तु राजभाषा का पद फारसी को प्राप्त था। अतः शिक्षलयों में भी फारसी का पठन—पाठन प्रारम्भस हुआ। फारसी का विद्वान चारों तरफ सम्मानित होने लगा।

यह समय भी अधिक दिन तक न रह सका। एक समय आया जब सारा भारत ब्रिटिश राष्ट्रध्वज के नीचे आ गया। अंग्रेज पहले व्यापार पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किये हुए थे, किन्तु जब बाद में उन्हें राज्य करने का चस्का लगा तों भाषा का प्रश्न भी उनके सामने आया। व्यापारी जहाँ जाता है, पहले वहाँ की भाषा से परिचय प्राप्त करता है। अंग्रेजों ने भी पहले ऐसे ही किया किन्तु बाद में उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। राजकाल की भाषा अंग्रेजी के सौभाग्स से मैकॉले की शिक्षा नीति स्वीकृत हो गई।

ब्रिटिश शासन काल में मैकॉले के प्रयासों के पश्चात् हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी। अंग्रेजी राजभाषा थी, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी था। उस समय हम अपने शिक्षालयों में अंग्रेजी की वर्तनी रटाने में ही छात्रों का समय नष्ट करते रहे, फिर भी हम दो प्रतिशत से अधिक भारतीयों को अंग्रेजी न सिखा सके, परन्तु हमारी शिक्षा का आदर्श अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना अवश्य रहा। इसलिए भारत में कुछ विद्वान अंग्रेजी के इतने उच्च कोटि के जानकार हुए कि उनका लोहा अंग्रेज भी मानने लगे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर अंग्रेज भी मुग्ध हो गए और श्रीमती सरोजनी नायडू को अन्होंने 'भारत कोकिला' की उपाधि ही दे डाली।

पुनः समय बदला, हमारी परतन्त्रता की बेडियाँ कट गई। हम स्वतन्त्र हुए, स्वतन्त्र वातावरण में सरकार की भाषा सम्बध्धी नीति की दिशा राजाजी ने पहले ही निश्चित कर दी थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई तो उन्होंने उसी दिशा में तमिलनाडु का मार्गदर्शन किया। मद्रास की दोनों व्यवस्थापिका सभाओं में हिप्दी विरोध का दृढतापुर्वक सामना करते हुए राजाजी ने हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास कराया और कहा–"सरकार की नीति इस सम्बन्ध में यही है कि हिन्दी का, जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है–कामचलाउ ज्ञान हो जाए, ताकि मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएँ कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार–विनिमय कर सकें।" उन्होने शिक्ष के उददेश्यों का सन्दर्भ देते हुए आगे कहा "निष्कर्ष यह है कि हिन्दी का गम्भीर ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उददेश्य होना चाहिए।" स्वतन्त्रत भारत की सरकारी भाषा नीति और शिक्षा की दिशा का स्पष्ट चित्र उस समय राजाजी के मस्तिष्क में था। बाद में वे अपने निश्चय से डिग गए और भाषा नीति को उन्होंने अस्पष्ट बना डाला।

ख्याति प्राप्त बंगाली विद्वान श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी के कथन को देखिये–"हिन्दी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जो लोग एकता स्थापित कर सकेंगे वे ही प्रकृत बन्धु कहलाने योग्य हैं। चेष्टा कीजिए, यत्न कीजिए कितने ही बाद क्यों न हो, मनोरथ पूर्ण होगा। हिन्दी भाषा के लोग द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन कीजिए–केवल बंगला और अंग्रेजी की चर्चा से काम न चलेगा।"

आचार्य विनोवा भावे ने तो यहाँ तक कह डाला कि "मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश की हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।

प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉ. सुनीत कुमार चटर्जी के उदगार भी भाषा–नीति के परिचायक थे। उनका कहना था, "राष्ट्रीयता के प्रतीक स्वरूप एक भाषा के माने बिना काम नहीं चल सकता और यह भाषा देश की या राष्ट्र की कोई भाषा होनी चाहिए। हिन्दी की प्रतिष्ठिता सर्वत्र दिखती है। हमारा सब अन्तः प्रान्तीय कामकाज राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही हो सकता है।" बाद में डॉक्टर साहब भ्रम के शिकार हो गए।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निम्तलिखित विचारों की बानगी लीजिए। जो उन्होंने अवसरों पर व्यक्त किये थे और जिन्हें आज हम भुलाते जा रहे है।–"जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है वह स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए। इस विषय में भेदभाद होने का कारण न होने पर भी मतभेद होगा, दुर्भाग्य की बात है। शिक्षित वर्ग की एक भाषा अवश्य होनी चाहिए और वह हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी द्वारा करोडों व्यक्तियों में आसानी से काम किया जा सकता है। इसलिए उसे उचित स्थान मिलने में जितनी देर हो

आईएसबीएनः 978–81–968378–6–0

रही है, उतना ही देश का नुकसान हो रहा है। अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से विदेशी माध्यम के जरिये अपने लडके, लडकियों की शिक्षा बन्द कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों में यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ या उन्हें बर्खास्त करा दूँ। मैं पाठय पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नही करूँगा। वे तो माध्यम परिवर्तन के पीछे–पीछे चली आयेंगी।

भारत के सन्दर्भ में भाषा के विविध रूप हैं। इन रूपों पर दृष्टिपात करना अवाश्यक है ताकि हिन्दी के स्थान का ठीक से निश्चिय किया जा सकें।

भाषा का प्रथम रूप 'मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है–माँ से ग्रहण की हुई भाषा। किन्तु हम 'जननी जन्मभूमिश्च' कीकर माँ के विशाल रूप में मातृभूमि को देखते हैं। अतः जन्मभूमि में व्यह्रत भाषा को मातृभाषा कीते है। कभी–कभी माँ की भाषा और मातृभूमि की स्वीकृत भाषा में अन्तर होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश छात्र प्रारम्भ में अपनी माता के मुँह से अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि सुनते हैं किन्तु उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि हिन्दी की बोलियाँ है। ये स्वतन्त्र भाषाएँ नही हैं। इन्हें जनपद भाषा भी कहा जाता है। संसार के सभी देशों में स्वीकृत भाषाओं की अपनी–अपनी बोलियाँ भी है। अंगेजी इंग्लैण्ड की मातृभाषा है किन्तु वेल्श जैसी समृद्ध भाषा को भी बोली का ही स्तर मिल सकता है। जनपद भाषाओं को मातृभाषा के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। बैलार्ड ने घर की बोली को 'माता की भाषा' (मदर्स टंग) और समाज द्वारा स्वीकार भाषा को 'मातृभाषा' (मदर टंग) कहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के अनादर के विरूद्ध गाँधीजी की चेतावनी पढिये। उन्होंने 20 अक्टूबर सन् 1917 के अपने भाषण में कहा "माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते है, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। इस सम्बन्ध को तोडने वालों का हेतु पवित्र ही क्यों न हो फिर भी वे जनता के दुशमन है। हम ऐसी शिक्षा के वशीभूत होकर मातृद्रोह करते है। इसके अतिरिक्त विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा देने से अन्य हानियाँ भी होती हैं। शिक्षित वर्ग और सामान्य जनता के बीच में अन्तर पड गया है। हम जन–साधारण को नहीं पहचानते, जन–साधारण हमें नही जानता। वे हमें साहब समझते है और हमसे डरते हैं, और हमसे डरते हैं, वे हम पर भरोसा नही करते। यदि यही स्थिति अह्धक समय तक कायम रही तों एक दिन लार्ड कर्जन का आरोप सही हो जाएगा कि शिक्षित वर्ग जन–साधारण का प्रतिनिधि नहीं है।

हम मातृभाषा का जो अनादर करते हैं, उसका हमें भारी प्रायश्चित करता पडेगा। इससे जन–साधारण का बडा नुकसान हुआ है।

भारत के सन्दर्भ में मातभाषाएँ क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं। भारत में बोलियाँ अनेक है किन्तु मातृभाषाएँ या क्षेत्रीय बारह हैं। इन भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में यो लिखा गया है–असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू। संस्कृत निजी क्षेत्र की भाषा नहीं है। फिर भी यह भारतीय भाषा है। उर्दू–हिन्दी की शैली है, बोली है और किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् इन क्षेत्रीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा भी कहा जा सकता है, क्येकि वे किसी–न–किसी राज्य की मातृभाषाएँ हैं।

आईएसबीएनः 978–81–968378–6–0

भाषा का दूसरा रूप 'राष्ट्रभाषा' है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो और जिसमें राष्ट्र के निवासी परस्पर विचारों का आदान–प्रदान करते हों। स्वतन्त्रता के पूर्व भी भारत की राष्ट्रभाषा सही मायने में हिन्दी थी। हिन्दी में ही धुर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम् के आस–पास के लोग भारतीयों का स्वागत करते थे, भारत के अनेक तीर्थो में लोग इसी भाषा का व्यवहार करते थे। कलकत्ता, बम्बई, करांची, लाहौर, दिल्ली आदि नगरों में यह भाषा अपरिचित नहीं थी। हमारे राष्ट्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था–14 सितम्बर, 1949ई। उस दिन भारतीय संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वतन्त्र भारत गणतन्त्र संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार था। उस दिन तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिन्दी, बांग्ला, असमिया और उडिया को राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकार था। इसी राज्य की राजभाषा वर्ग में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को भी सम्मिलित किया गया है। संविधान के इसी राजभाषा वर्ग में संस्कृत, उर्दू तथा सिन्धी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया है।

भारतीय संविधान परिषद की राजभाषा प्रारूप आलेखन समिति (राजभाषा मसौदा ड्राफ्टिग कमेटि) ने संवैधानिक विधि नियमानुसार वितरण कर तथा संशोधनों को आमन्त्रण कर पुनः अन्तिम रूप से 'राजभाषा प्रारूप आलेख' तैयार कर विचार विमर्श के लिए भारतीय संविधान सभा के पटल पर 12 सितम्वर, 1949 को रखा था। उस दिन अपरान्ह चार बजे केन्द्रीय संसद भवन कक्ष में बैठक शुरू हुई। सभापति पद से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा–"यह एक ऐसा विषय है जो कुछ समय से सदस्यों के विचारों में आन्दोलन पैदा करता रहा है। इस कारण इस विचार विमर्श में जो वक्ता भाग लेंगे उनसे मैं निवेदन करुगा कि मेरा निवेदन किसी विशिष्ट प्रस्थापना के पक्ष में नहीं है, वरन वह उन भाषणों के प्रकार के सम्बन्ध में है जो सदस्यों द्वारा इस सभा में भारत संघ तथा भारत के राज्यों की राजभाषा के सन्दर्भ में विचार विमर्श के दौरान दिये जायेंगे। हम सब यह न भूलें कि हमारे देश भारत संघ की राजभाषा तथा राज्यों के लिए राजभाषाओं का प्रश्न बहुत ही महत्व का है। यह एक ऐसा निर्णय होगा, जिसका पालन समूचे देश द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों को यह स्मरण रखना होगा कि इस सभा में विचार–विमशवादी–प्रतिवादी का वाद–विवाद न बनाया जाए और बुद्धि तर्क द्वारा किसी बात में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखा जाए क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र को वास्तविक लक्ष्य तथा राष्ट्रीय लाभ प्राप्त नही होगा। अतः इस सभा का जो भी निर्णय या विनिश्चय हो, वह ऐसा हो जो देश के समस्त जन–मन को मान्य होना चाहिए। यदि हम किसी विशिष्ट प्रस्थापना को बहुमत द्वारा पारित करने में सफल भी हो गए, परन्तु यदि वह देश की जनता के किसी वर्ग को स्वीकार न हुआ तों उसके पालन में एक कटुता रह जाएगी लेकिन सदस्यगण यह भी अपनी आत्मा की पुकार से भी देखें कि उनका कोई भी निर्णय राष्ट्र की जनता के दिल, दिमाग की पहुँच से दूर न हो। ऐसा न हो कि हम शिक्षितों को स्वीकार हो मगर निन्यानवे प्रतिशत अशिक्षित जनता को स्वीकार न हो।

भारत की आजादी प्राप्त करने में शिक्षित भारतीयों से शतांश भी कम योगदान भारतीयों का नहीं है, बल्कि यह कहना उचित है कि हम शिक्षितों ने अपने सामर्थ्य से अपने लिए कुछ–न–कुछ बचाकर ही भाग लिया हैद्व जबकि आम जनता ने तों अपना सर्वस्व भारत माता की आजादी की बेदी पर न्यौछावर कर दिया है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया कि हमारे राष्ट्र की राजभाषा आम जनता की समझ की उनकी ही भाषा होनी चाहिए और वह भाषा केवल विद्वानों की भाषा नही होनी चाहिए।

आईएसबीएनः 978–81–968378–6–0

भाषा, साहित्य और संस्कृति के बीच का संबंध इस प्रकार है:–

- **भाषा और साहित्य का संबंध:** भाषा शब्दों का समूह है जिसके जरिए हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते है। वहीं, साहित्य वह विचार है जिसे भाषा की मदद से व्यक्तत किया जाता है। साहित्य, किसी समाज की संस्कृति का अहम हिस्सा होता है और इसका माध्यम भाषा ही होती है।
- **साहित्यिक भाषा:** किसी भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग औपचारिक, शैक्षणिक या विशेष रूप से विनम्र लहजे में लिखते समय किया जाता है; जब इस तरह के लहजे में बोलते या लिखते हैं, तो इसे औपचारिक भाषा के रूप में भी जाना जा सकता है। यह किसी भाषा का मानकीकृत रूप हो सकता है। यह कभी–कभी विभिन्न बोली जाने वाली भाषाओं के स्पष्ट रूप से भिन्न हो सकती है, लेकिन साहित्यिक और गैर–साहित्यिक रूपों के बीच का अंतर कुछ भाषाओं में दूसरों की तुलना में अधिक में अधिक होता है। यदि लिखित रूप और बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के बीच एक मजबूत विचलन है, तो भाषा को डिग्लोसिया (भाषाओं या बोलियों पर समुदाय द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों तक प्रतिबंध) प्रदर्शित करने वाला कहा जाता है।
- **भाषा और संस्कृति का संबंध:** भाषा, सामाजिक बातचीत को आसान बनाती है। वही, संस्कृति हमें दूसरों के साथ व्यवहार और बातचीत करने का तरीका सिखाती है। संस्कृति, हमारी मूल परंपराओं और मूल्यों को प्रभावित करती है।
- **हिन्दी साहित्य:** हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा में लिखी गई रचनाओं को कहते हैं। इसमें गद्य, पद्य, कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी जैसी कई विधाएं शामिल हैं। हिन्दी साहित्य, रचनात्मकता, सौंदर्य, और ज्ञान का खजाना है।

**निष्कर्ष–**

भारत की स्वतन्त्रता के बाद हमने लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा के महत्व को अनदेखा नही करना चाहिए। यदि इस बारे में कुछ अडचन हैं तो उन्हे दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि जनभाषा का राजभाषा के साथ तालमेल क्यो नही बैठ पा रहा है। हमारे विद्वान, भाषाविद् और लेखकों को इस बारे में विचार करके कोई सही रास्ता निकालना चाहिए। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजभाषा को लोगों के करीब की ही भाषा होनी चाहिए। इसके लिए मौलिक हिन्दी में काम किया जाना चाहिए। मानव संसाधन की दृष्टि से भी भारत एक अग्रणी देश है। इस बारे में राजभाषा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। राष्ट्र भाषा को ही राजभाषा का पद मिलना चाहिए। सभी स्वतन्त्र देशों में राष्ट्रभाषाएँ ही वहाँ की राजभाषाएँ भी हैं। भारत में भी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए किन्तु इस समय दुर्भाग्य से दोनों में अन्तर है। इस अन्तर को शीध्र ही समाप्त होना चाहिए।

**सन्दर्भ सूची–**


1. जैन भोला पायल, रूहेला एस. पी. (2015/16) पाठ्यक्रम मे विषयो की समझ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. https//en.wikipedis.org<wiki
3. https//www.britannica.com<topic